न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 159/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

मणिभवनम् होम फाईनेंस प्रा.लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी **राजेश शर्मा**

रजिस्टर्ड कार्यालयः– द्वितीय तल, एन–2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–1, नई दिल्ली–49

शाखा कार्यालयः– यूनिट नं. 12, तृतीय तल, महिमा ट्रिनिटी, प्लॉट नं. 5, स्वेज फार्म, जयपुर–302019 (राज.)

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **ममता खैरवा पत्नि खेम चंद**
   प्रथम पताः– ढ़ाणी कांकड़ वाली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)
   द्वितीय पताः– खसरा नम्बर 126, ग्राम पोस्ट कल्याणपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)
2. **खेमचंद पुत्र बीरबल** ढ़ाणी कांकड़ वाली, तहसील श्रीमाधोपुर, कन्चारा उर्फ कंचनपुर, जिला–सीकर (राज.) 332719
3. **अनिल कुमार पुत्र बीरबल सिंह** ढ़ाणी कांकड़ वाली, तहसील श्रीमाधोपुर, कन्चारा उर्फ कंचनपुर, जिला–सीकर (राज.) 332719

– अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

<u>The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.</u>

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 15 सितम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **ममता खैरवा पत्नि खेम चंद, खेमचंद पुत्र बीरबल** एवं **अनिल कुमार पुत्र बीरबल सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ममता खैरवा पत्नि खेम चंद** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **आवासीय प्लॉट, खसरा नम्बर 126, ग्राम जसवंतपुरा, पटवार हल्का कल्याणपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(राज.) 332719 में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 412.50 वर्गगज (344.93 वर्गमीटर)** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सड़क 15 फीट सुसिंह का बास से कंचनपुर, पश्चिम दिशा में अन्य का पशु बाड़ा, उत्तर दिशा में अन्य चौक 12 फीट चौड़ी खाली भूमि एवं दक्षिण दिशा में अन्य कृषि भूमि स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹5,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पांच लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **25.03.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **25.03.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **ममता खैरवा पत्नि खेम चंद, खेमचंद पुत्र बीरबल** एवं **अनिल कुमार पुत्र बीरबल सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **ममता खैरवा पत्नि खेम चंद** के

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **आवासीय प्लॉट, खसरा नम्बर 126, ग्राम जसवंतपुरा, पटवार हल्का कल्याणपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.) 332719** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 412.50 वर्गगज (344.93 वर्गमीटर)** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सड़क 15 फीट सुसिंह का बास से कंचनपुर, पश्चिम दिशा में अन्य का पशु बाड़ा, उत्तर दिशा में अन्य चौक 12 फीट चौड़ी खाली भूमि एवं दक्षिण दिशा में अन्य कृषि भूमि स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **15 सितम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर